राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

(2)

क्रमांक / कृ.स. / स्था.दो / 2014 / 2412

दिनांक: 31/10/2014

आदेश

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3–12 / 2013 / 1 / 3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत स्व. श्रीमती इशरत जहॉ, प्रयोगशाला परिचारक कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, सीहोर का आकस्मिक निधन दिनांक 18.02.2014 को होने के फलस्वरूप इनके पुत्र **श्री आमिर खान** को अनुकम्पा नियुक्ति **सहायक ग्रेड–3** के पद पर पे बैंड रू. 5200–20200 + ग्रेड पे रू. 1900 में **अनारक्षित वर्ग** के अन्तर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर,बजट शीर्ष **C-2 Res.(ICAR)-27 Chickpea** आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय, सीहोर में पदस्थ किया जाता है।

नियुक्ति की अन्य शर्ते निम्नानुसार है–

(1) भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेना होगी।

(2) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार कर्मचारी के द्वारा त्याग पत्र देने की स्थिति में एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन जमा करना अनिवार्य है।

(3) चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र एक माह में भर कर प्रस्तुत करना होगा। यदि प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है तो तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया जावेगा।

(4) कार्य पर उपस्थिति के समय समस्त वांछित मूल प्रमाण पत्रों को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(5) उपरोक्त पदस्थापना स्थल पर आदेश जारी होने के 30 (तीस) दिवस में अनिवार्यतः उपस्थित होना आवश्यक है, अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा।

(6) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3–12 / 2013 / 1 / 3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 के बिन्दु क्रमांक 6.5 के अनुसार सहायक ग्रेड–3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि में वांछित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

प्रमाणित किया जाता है मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधो का और अधिनियम के उपबंधो के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम को धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

(एस.एस. मेहर) 31/10/14

कुलसचिव

क्रमांक / कृ.स. / स्था.दो / 2014 / 2413

दिनांक: 31/10/14

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि.,ग्वालियर।
2. संचालक अनुसंधान सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि.,ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता, आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय, सीहोर।
4. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि.,ग्वालियर।
5. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि.,ग्वालियर।
6. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि / पेंशन / बजट / स्थापना / गोपनीय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि.,ग्वालियर।
7. श्री आमिर खान पुत्र स्व. श्रीमती इशरत जहॉ द्वारा अधिष्ठाता, आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय, सीहोर।
8. निज सचिव माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि.,ग्वालियर।
9. व्यक्तिगत नस्ती / सुरक्षा नस्ती

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था.दो/2020/[illegible]

दिनांक: [illegible]

आदेश

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. सी 3-13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 में निहित निर्देशो के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत स्व. श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, भृत्य, बी.एम. कृषि महाविद्यालय, खण्डवा का आकस्मिक निधन दिनांक 10.01.2016 को होने के फलस्वरूप इनके पुत्र श्री गणेश सिंह ठाकुर की अनुकम्पा नियुक्ति भृत्य के पद पर पे ग्रेड रु. 4440-7440+1300 (7 वेतनमान लेवल-1 साथ ही परिवीक्षा अवधि उक्त पद पर वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।) अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03(तीन) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन की जाकर पदस्थापना उपस्थिति दिनांक से कार्यालय अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के अधीन की जाती है।

नियुक्ति की शर्ते एवं प्रतिबंध निम्नानुसार है-

1. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
2. उक्त शपथ-पत्र के अतिरिक्त सेवा में उपस्थिति प्रस्तुत करने के समय आपको यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा की पूर्व से आप शासकीय सेवा में नही है और न ही दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा/निगम, मण्डल परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नही है। आप दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण-पोषण करेंगे। उपरोक्तानुसार उक्त बिन्दुओं का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आपकी उपस्थिति मान्य की जा सकेगी। शपथ-पत्र एवं उक्त बिन्दुओं की जानकारी न देने के अभाव में आपका अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों सहित पदस्थी कार्यालय में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर किसी अन्य पद पर नियुक्ति का निवेदन स्वीकार नही किया जावेगा और न ही अनुकम्पा नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित की जावेगी। यह नियुक्ति आवेदक द्वारा लिखित सहमति के आधार पर दी जा रही है।
5. चरित्र सत्यापन (पुलिस वैरीफिकेशन) करा लिया गया है किन्तु नियुक्ति के पश्चात चरित्र सत्यापन में यदि यह पाया जाता है कि वह शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है तो उसे दी गई अनुकम्पा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जाती है कि आवेदक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यह प्रमाणित हो जावेगा कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
7. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है जो किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता जमा कराने पर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं, तो यह समझा जावेगा कि इन्होंने इस अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड दी है तथा उन्हें एक माह का या नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम हो, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ता का भुगतान करना होगा।
8. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जा रही है कि चयनित अविवाहित व्यक्ति द्वारा निर्धारित आयु के बाद ही विवाह किया है। यदि यह पाया गया कि संबंधित चयनित व्यक्ति द्वारा न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया गया हो, तो उसका/उसकी अनुकम्पा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
9. कोई भी चयनित उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी कोई स्त्री पदाभिलाषी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी की एक पत्नी पूर्व से जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

क्रमशः 2

(10)

कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के अपराध के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध–दोष ठहराया गया हो, अनुकम्पा
0 नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
उम्मीदवार को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनाक से ये सभी शर्ते म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते)
1 नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होगे जो समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये जा चुके है अथवा जारी किये
जावेगें।
उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता की मूल अंक सूचियाँ इत्यादि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2 आवेदक का आदेश जारी होने की दिनाक से 30 दिवस के अंदर पदस्थी स्थान (कार्यालय) मे अनिवार्य रूप से
3 उपस्थित होकर, कार्यालय प्रमुख का उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना करना होगा अन्यथा आदेश निरस्त कर दिया
जावेगा।
राज्य शासन के अधीन दिनाक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्ति होने वाले कर्मचारियो का परिभाषित अंशदान
4 पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों का लागू सामान्य वर्तमान नियमां अथवा
जो भविष्य में बनाये जाए और उन्हें लागू किया जाये के अध्यधीन रहेगा।
उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी
5. होगी।

प्रमाणित किया जाता है मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

(डी.एल. कोरी) 24/12/20
कुलसचिव
दिनांक 24.12.2020

पृष्ठा. क्र / कु.स. / स्था.दो / 2020 / 2785
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर संदर्भित अनुकम्पा नियुक्ति का आदेश सशर्त जारी किया गया है। अतः
चयन्ति दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को शासकीय सेवा में उपस्थित कराने के पूर्व पुलिस चरित्र सत्यापन की
प्रत्याशा में शपथ–पत्र / पूर्व से आवेदक के शासकीय सेवा में नही होने एवं दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई
भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय / अशासकीय / अर्द्धशासकीय / सेवा / निगम, मण्डल,
परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नही होने एवं दिवंगत शासकीय शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का
भरण–पोषण करने एवं नियुक्ति प्राप्त करने वाली महिला यदि अविवाहित है तो उन्हें शादी–शुदा नही होने का शपथ–पत्र
प्रस्तुत करने के पश्चात् ही कार्यालय में उपस्थिति मान्य करें। यदि यह पाया गया कि वांछित अभिलेखों के अभाव मे
आपने किसी अभ्यार्थी को नियुक्ति पश्चात् उपस्थित करा लिया है, जो कि नियमानुसार पात्रता नहीं रखता है ऐसी स्थिति
मे आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराये जायेंगे एवं गलत व्यक्ति को शासकीय सेवा मे उपस्थित कराये जाने के
फलस्वरूप आपके विरूद्ध कडी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं अपात्र व्यक्ति को भुगतान की गई राशि आपसे
व्यक्तिगत वसूली योग्य होगी।
उप लेखानियंत्रक, भविष्य निधि / अनुभाग अधिकारी / सामान्य / पेंशन / बजट एवं वित्त / गोपनीय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि.
ग्वालियर।
उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर
श्री गणेश सिंह ठाकुर, वार्ड क्रमांक 08 साई रामनगर, सिराखदान हनुमान मंदिर के सामने वाली गली जसवाडी रोड
खण्डवा 450001 (म०प्र०)।
निजसचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
आदेश नस्ती / सुरक्षा नस्ती / व्यक्तिगत नस्ती।

कुलसचिव 24/12/20

Speed Post

College of Horticulture Inword No 2002 Dt. 9.9.08 MANDSAUR

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक स्था.दो/(1)/2008/ 241 दिनांक 19/08/2008

// आदेश //

श्री लक्ष्मीकान्त ठाकरे आत्मज श्री रामनाथ ठाकरे को चयन समिति की अनुशंसानुसार वाहन चालक–सह–मैकेनिक के पद पर वेतनमान रू. 3050–75–3950–80–4590/– पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है।

2. नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होंगी :–

(अ) आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र जाँचोपरान्त गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।

(ब) इस आदेश के प्रसारित होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देवें, अन्यथा ये बिना सूचना के स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(स) यह नियुक्ति दो वर्ष की परीवीक्षा अवधी पर की जा रही है। दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि सामाप्ति पर कार्यो के मूल्यांकन के आधार पर परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जा सकेगी तथा तत्पश्चात ही आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परीवीक्षा काल अवधि में वाहन चालक–सह–मैकेनिक के पद का न्यूनतम वेतनमान देय होगा।

(द) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह के वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती है, यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील रहेगी।

(इ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय तत्संबंधित सक्षम अधिकारी को अर्हता संबंधित मूल दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण–पत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाण–पत्र एवं विकलांग प्रमाण–पत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(क) उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह की समयावधि में विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।

(ख) उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो वह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के समाप्त की जावेगी।

(ग) उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।

(घ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जावेगी।

(च) उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम के विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तें तथा समय–समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।

(छ) उपरोक्त पद पर नियुक्त कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रभावशील होगी।

(ज) उम्मीदवार की सेवाएं विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली किसी भी इकाई/योजना में स्थानांतरित की जा सकेगी।

3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक– 21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार

सही/-

कुलसचिव

दिनांक 19/08/2008

क्रमांक स्था.दो/(1)/2008/ 242

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित–

5-9-08

1. संचालक अनुसंधान/विस्तार सेवायें, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर । कृपया श्री ठाकरे का वेतन बजट शीर्ष B (b)-11 College of Horticulture, Mandsour में उपलब्ध वाहन चालक के रिक्त पद के विरूद्ध आहरित करें एवं नियुक्ति शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. सहायक लेखानियंत्रक भविष्य निधि/बजट एवं वित्त/पेंशन/गोपनीय, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. सहायक कुलसचिव (सामान्य), ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
7. संबंधित व्यक्ति श्री लक्ष्मीकान्त ठाकरे, आत्मज श्री रामनाथ ठाकरे 375, न्यू रामनगर शान्तामाता मंदिर के अधारताल, जबलपुर म0प्र0 । कृपया पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत् है तो उस संस्था/विभाग से कार्यमुक्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा कार्य– भार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHWA VIDYALAYA, JABALPUR

-: O R D E R :-

No.Estt.II/B/2K/4420/ Dated, the 25 Nov., 2000

The following persons are appointed as Peon in the scale of Pay Rs. 2550-55-2660-60-3200/- (Class-IV) on compassionate ground and posted at the places shown against their names, temporarily, until further orders, with effect from the dates they report on duty on the terms and conditions appended :-

S.No.	Name	Catagory	Place of posting
1	2	3	4
1.	Shri Manoj Kewat, S/o Late Shri Ramlal Kewat, Purani Basti, Adhartal, Jabalpur.	General	Deptt. of Maths & Statistics, Jabalpur
2.	Ku. Sangita Bhadoria, D/o Late Shri Laxman Singh Bhadoria, Dairy Farm, Krishi Mahavidyalaya, Race Course Road, Infront of Mela Ground, Gwalior.	General	Krishi Vigyan Kendra, Aron (Guna)
3.	Shri Narendra Singh Bhooria, S/o Late Shri Limbi Singh Bhooria, Khandwa Naka, Zonal Agril. Research Centre, Khargone - 451001	S.T.	Krishi Vigyan Kendra, Khandwa
4.	Smt. Meera Devi Pasi, W/o Late Shri Raja Bhaiya Pasi, 1702, Baldi Kori Ki Dafai, East Ghamapur, Jabalpur	S.C.	AICRP on Poultry, L.S.F., Adhartal, Jabalpur
5.	Shri Gagan Vairagi, S/o Late Shri Vishnu Das Varagi, H.No.382, L.I.G.Sector 'B', Scheme No.71, Indore.	OBC	Krishi Vigyan Kendra, Rajgarh

They should report on duty at their respective places of posting within 15 days from the date of issue of this order failing which the order will be treated as cancelled.

By order of the Vice-Chancellor,

REGISTRAR

Contd..2

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर

क्रमांक-स्था.दो/(1)/वि.भ.अ./2003/2461 दिनांक 30.7.2003

// आदेश //

श्री रोमनलाल ठाकुर आत्मज श्री बृजलाल ठाकुर निवासी जबलपुर को, आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग/कैरीफार्वड पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत चयन समिति की अनुशंसा पर स्टेनो टाइपिस्ट के पद वेतनमान रू. 3050-75-3950-80-4590/-(विशेष वेतन 125/-) में अस्थाई रूप से नियुक्त कर उनकी पदस्थापना कृषि महाविद्यालय, खंडवा में की जाती है । यह नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी एवं दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर पृष्ठ 2 पर उल्लेखित शर्तों के अधीन है ।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा, (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994)के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है ।

कुलपतिजी के आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृष्ठा. कमांक-स्था.दो/(1)/वि.भ.अ./2003/2462 दिनांक 30.7.2003

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित :-

1. संबंधित संचालक/अधिष्ठाता संकाय/महाविद्यालय ।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, खंडवा । कृपया श्री रोमनलाल ठाकुर का वेतन बजट शीर्ष **C-1-49 ,IERP, Khandwa** में उपलब्ध स्टेनो टाइपिस्ट के रिक्त पद के विरूद्ध आहरित करें एवं नियुक्ति शर्तो के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जॉच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें ।
3. लेखा नियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
4. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/गोपनीय शाखा, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
5. माननीय कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
6. संबंधित व्यक्ति श्री रोमनलाल ठाकुर आत्मज श्री बृजलाल ठाकुर, मार्फत-श्री लीलागरराम ठाकुर, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, डाकघर, RFRC,मंडला रोड,जबलपुर (म.प्र.)
8. व्यक्तिगत नस्ती/सुरक्षा नस्ती/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ ।

1625
6-8-03

सहायक कुलसचिव

No.Estt/85/ 1552 COLLEGE OF AGRICULTURE, INDORE (MP) Dated 31-10-85

ORDER

On recommendations of the Selections Committee, the following candidates are appointed temporarily until further orders to the post of Lower Division Clerk in the scale of pay Rs.515-10-575-15-800 and posted at JNKVV Agriculture Research Farms as shown against their names on the under mentioned terms and conditions of their appointment:

1. Shri Mansaram Yadav s/o Shri Dashrath Yadav, Irrigation Division, Thikri, Distt. Khargone: JNKVV Agril. Res.Farm,Khargone
2. Shri Raju Rajaram s/o Shri Ghasiram, Ganeshganj,Ward no.1, Khandwa :JNKVV Agril. Res.Farm,Mandsaur
3. Shri Ashok Kumar Soni s/o Shri Babulal Soni, 25 Subhash Marg, Barwaha : JNKVV Agril.Res. Farm, Mandsaur

Terms and Conditions :

1. They must report on duty within fifteen days from the date of issue of this order.
2. Their appointment is temporary and can be terminated either on one months notice or payment of one month's salary in lieu thereof.
3. They will submit a certificate of physical fitness from either the Campus Medical Officer or the District Civil Surgeon for drawal of their first salary. This order will stand automatically cancelled in the event of their being found physically unfit.
4. They will sign the oath of allegiance to the Republic of India.
5. Their antecedents will be got verified through the concerned police and on the event of anything being found repugnant about their character, this order will stand cancelled automatically.
6. Their appointment will be governed by the existing rules and regulations and those to be frame from time to time by the JNKVV.

Sd/-

DEAN

Endt.No.Estt/85/ 1492-1498 Dated 29-10-85

Copy for information and necessary action to :

1. The persons concerned (by registered post)
2. The Registrar, JNKVV, Jabalpur
3. The Director of Research Services,JNKVV, Jabalpur
4. The Assoc.Director of Research,Indore
5. The Officer I/c JNKVV Agril.Research Farm, Mandsaur/Khargone
6. The Employment Officer, Khargone/Mandsaur/Indore

Sharma

s

13 2/96.

DIRECTORATE OF EXTENSION SERVICES
JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHWA VIDYALAYA JABALPUR

No.DES/Estt./96/ Dated the Oct., 1996

ORDER

On the recommendations of the Hon'ble Vice-Chanceller JNKVV, Jabalpur, Shri Surendra Mohan Santore is appointed temporarily, until further orders as Horticulture Attendent and post at Krishi Vigyan Kendra, Khandwa in the scale of pay Rs.750-940./

The order shall stand cancelled if the appointee does not join the post within one week from the date of issue of this order.

By order of the Vice-Chanceller

sd/-
(D.P. Nema)
Director Extension

Endt.No.DES/Estt./96/1148 Dated the 23rd Oct., 1996

Copy forwarded to :-

1. The Registrar, JNKVV, Jabalpur
2. The Dean, College of Agriculture, Khandwa
3. The Training Organiser, K.V.K. Khandwa
4. Shri Surendra Mohan Santore, KVK, Khandwa
5. The Establishment Section, Directorate of Extension, JNKVV, Jabalpur

DIRECTOR EXTENSION

Vidyalaya, Krishi Vigyan Kendra
INWARD
287
24-10-96
KHANDWA

Seen

OP 4.11.96

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था.दो/2021/4351 दिनांकः 23.02.2021

आदेश

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3–12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. सी 3–13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 में निहित निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत स्व. **श्री राधेश्याम कुशवाह,** प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, ऑचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, खरगौन का आकस्मिक निधन दिनांक 12.09.2019 को होने के फलस्वरूप इनके पुत्र **श्रीकांत कुशवाह** की अनुकम्पा नियुक्ति **सहायक ग्रेड–3** के पद पर पे बैंड रू. **5200–20200+1900** (7 वेतनमान लेवल–4) में परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान के न्यूनतम का **प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि**, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। **परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर** वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा। **अन्य पिछड़ा वर्ग** के अन्तर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक **03 (तीन) वर्ष** की **परिवीक्षा** अवधि पर उपस्थिति दिनांक से पदस्थापना कार्यालय **अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, खण्डवा** में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन की जाती है।

नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध निम्नानुसार है–

1. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
2. उक्त शपथ–पत्र के अतिरिक्त सेवा में उपस्थिति प्रस्तुत करने के समय आपको यह शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा की पूर्व से आप शासकीय सेवा में नही है और न ही दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा/निगम, मण्डल परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नही है। आप दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण–पोषण करेंगे।
   उपरोक्तानुसार उक्त बिन्दुओं का शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आपकी उपस्थिति मान्य की जा सकेगी। शपथ–पत्र एवं उक्त बिन्दुओं की जानकारी न देने के अभाव में आपका अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण–पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियों सहित पदस्थी कार्यालय में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर किसी अन्य पद पर नियुक्ति का निवेदन स्वीकार नही किया जावेगा और न ही अनुकम्पा नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित की जावेगी। यह नियुक्ति आवेदक द्वारा लिखित सहमति के आधार पर दी जा रही है।
5. नियुक्ति के पश्चात चरित्र सत्यापन में यदि यह पाया जाता है कि वह शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है तो उसे दी गई अनुकम्पा नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
6. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जाती है कि आवेदक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण–पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यह प्रमाणित हो जावेगा कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण–पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
7. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है जो किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता जमा कराने पर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहते है, तो यह समझा जावेगा कि इन्होंने इस अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड दी है तथा उन्हें एक माह का या नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम हो, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ता का भुगतान करना होगा।
8. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जा रही है कि चयनित अविवाहित व्यक्ति द्वारा निर्धारित आयु के बाद ही विवाह किया है। यदि यह पाया गया कि संबंधित चयनित व्यक्ति द्वारा न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया गया हो तो उसका/उसकी अनुकम्पा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
9. कोई भी चयनित उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी कोई स्त्री पदाभिलाषी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी की एक पत्नी पूर्व से जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
10. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के अपराध के विरूद्व किसी अपराध का सिद्व–दोष ठहराया गया हो, अनुकम्पा नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

क्रमंश..........2

11. उम्मीदवार को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्ते म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जा चुके है अथवा जारी किये जावेगें।
12. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता की मूल अंक सूचियाँ इत्यादि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. आवेदक को आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर पदस्थी स्थान (कार्यालय) में अनिवार्य रूप से उपस्थिति होकर, कार्यालय प्रमुख को उपस्थिति प्रतिवदेन प्रस्तुत करना करना होगा अन्यथा आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
14. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों का लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाए और उन्हें लागू किया जाये के अध्यधीन रहेगा।
15. उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
16. MAP-IT से CPCT Score card तथा कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण-पत्र म.प्र. शासन सा.प्र.वि. के पत्र क्रमांक सी-3-8/2003/1/3 दिनांक 01.07.2013 में उल्लेखित (1) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, (2) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, (3) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, (4) शासकीय पॉलीटेक्नि कालेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजेंट कोर्स, (5) शासकीय आई.टी. आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग अस्टिेंट (COPA) प्रमाण-पत्र में से किसी एक संस्था से उर्तीण किये जाने हेतु 3 वर्ष की अवधि निर्धारित है दी गई अवधि में निर्धारित संस्थानों से परीक्षा उर्तीण न करने की स्थिति में आपकी सेवाये स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

कुलसचिव 23/2/2021

दिनांकः 23.02.2021

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था.दो/2021/4352

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1 अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2 लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3 अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, खण्डवा संदर्भित अनुकम्पा नियुक्ति का आदेश सशर्त जारी किया गया है। अतः चयनित दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को शासकीय सेवा में उपस्थित कराने के पूर्व पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में शपथ-पत्र/पूर्व से आवेदक के शासकीय सेवा में नही होने एवं दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय/सेवा/निगम, मण्डल, परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नही होने एवं दिवंगत शासकीय शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण-पोषण करने एवं नियुक्ति प्राप्त करने वाली महिला यदि अविवाहित है तो उन्हें शादी-शुदा नहीं होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही कार्यालय में उपस्थिति मान्य करें। यदि यह पाया गया कि वांछित अभिलेखों के अभाव में आपने किसी अभ्यार्थी को नियुक्ति पश्चात् उपस्थित करा लिया है, जो कि नियमानुसार पात्रता नहीं रखता है ऐसी स्थिति में आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराये जायेंगे एवं गलत व्यक्ति को शासकीय सेवा में उपस्थित कराये जाने के फलस्वरूप आपके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं अपात्र व्यक्ति को भुगतान की गई राशि आपसे व्यक्तिगत वसूली योग्य होगी।
4. उप लेखानियंत्रक, भविष्य निधि/अनुभाग अधिकारी/सामान्य/पेंशन/बजट एवं वित्त/गोपनीय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. श्रीकांत कुशवाह ऑचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, खरगौन (म०प्र०)
7. निजसचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. आदेश नस्ती/सुरक्षा नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

कुलसचिव 23/2/2021

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्रमांक : कृ.स./स्था./अनुकम्पा/2021/2776 दिनांक 29/12/2021

आदेश

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3–12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. सी 3–13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 में निहित निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत स्व. **श्री यू.एस. धुर्वे**, स्टेनोग्राफर, कृषि महाविद्यालय, खण्डवा का आकस्मिक निधन दिनांक 23.04.2021 को होने के फलस्वरूप इनकी पत्नी **श्रीमती कान्ती धुर्वे** की अनुकम्पा नियुक्ति **सहायक ग्रेड–3** के पद पर पे बैंड रू. **5200–20200+1900 (7 वेतनमान लेवल–4** में परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान के न्यूनतम का **प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि** स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।) में **अनुसूचित जनजाति** के अन्तर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक **03 (तीन) वर्ष की परिवीक्षा अवधि** पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन की जाकर पदस्थापना उनकी उपस्थिति दिनांक से **कृषि महाविद्यालय, खण्डवा** के अधीन की जाती है।

नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध निम्नानुसार है–

1. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
2. उक्त शपथ–पत्र के अतिरिक्त सेवा में उपस्थिति प्रस्तुत करने के समय आपको यह शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा की पूर्व से आप शासकीय सेवा में नहीं हैं और न ही दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा/निगम, मण्डल परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नहीं है। आप दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण–पोषण करेंगे।

   उपरोक्तानुसार उक्त बिन्दुओं का शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आपकी उपस्थिति मान्य की जा सकेगी। शपथ–पत्र एवं उक्त बिन्दुओं की जानकारी न देने के अभाव में आपका अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण–पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियों सहित पदस्थी कार्यालय में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर किसी अन्य पद पर नियुक्ति का निवेदन स्वीकार नही किया जावेगा और न ही अनुकम्पा नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित की जावेगी। यह नियुक्ति आवेदक द्वारा लिखित सहमति के आधार पर दी जा रही है।
5. नियुक्ति के पश्चात चरित्र सत्यापन में यदि यह पाया जाता है कि वह शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है तो उसे दी गई अनुकम्पा नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
6. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जाती है कि आवेदक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण–पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यह प्रमाणित हो जावेगा कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण–पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
7. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है जो किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता जमा कराने पर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहते है, तो यह समझा जावेगा कि इन्होंने इस अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड दी है तथा उन्हें एक माह का या नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम हो, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ता का भुगतान करना होगा।
8. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जा रही है कि चयनित अविवाहित व्यक्ति द्वारा निर्धारित आयु के बाद ही विवाह किया है। यदि यह पाया गया कि संबंधित चयनित व्यक्ति द्वारा न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया गया हो तो उसका/उसकी अनुकम्पा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
9. कोई भी चयनित उम्मीद्वार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी कोई स्त्री पदाभिलाषी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी की एक पत्नी पूर्व से जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
10. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के अपराध के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध–दोष ठहराया गया हो, अनुकम्पा नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
11. उम्मीद्वार को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्तें म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये जा चुके है अथवा जारी किये जावेगें।

क्रमशः 2

12. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता की मूल अंक सूचियाँ इत्यादि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. आवेदक को आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर पदस्थी स्थान (कार्यालय) में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर, कार्यालय प्रमुख को उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना करना होगा अन्यथा आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
14. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों का लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाए और उन्हें लागू किया जाये के अध्यधीन रहेगा।
15. उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
16. MAP-IT से CPCT Qualified Score card (कम्प्यूटर एवं टायपिंग दक्षता उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र) तथा म.प्र. शासन सा.प्र.वि. के पत्र क्रमांक सी–3–8/2003/1/3 दिनांक 01.07.2013 में उल्लेखित निम्नांकित मान्यता प्राप्त संस्थान– (1) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, (2) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, (3) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, (4) शासकीय पॉलीटेक्नि कालेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजेंट कोर्स, (5) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग अस्टिेंट (COPA) प्रमाण–पत्र में से किसी एक संस्था से उर्तीण किये जाने हेतु 03 वर्ष की समय सीमा निर्धारित है। दी गई अवधि में निर्धारित संस्थानों से परीक्षा उर्तीण न करने की स्थिति में आपकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

कुलसचिव

पृष्ठा. क्रमांक : कु.स./स्था./अनुकम्पा/2021/2777 दिनांक: 29/12/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1 अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2 अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, खण्डवा संदर्भित अनुकम्पा नियुक्ति का आदेश सशर्त जारी किया गया है। अतः चयनित दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को शासकीय सेवा में उपस्थित कराने के पूर्व पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में शपथ–पत्र/पूर्व से आवेदक के शासकीय सेवा में नहीं होने एवं दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/ अर्द्धशासकीय/सेवा/निगम, मण्डल, परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नहीं होने एवं दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण–पोषण करने एवं नियुक्ति प्राप्त करने वाली महिला यदि अविवाहित है तो उन्हें शादी–शुदा नहीं होने का शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही कार्यालय में उपस्थिति मान्य करें। यदि यह पाया गया कि वांछित अभिलेखों के अभाव में आपने किसी अभ्यार्थी को नियुक्ति पश्चात् उपस्थित करा लिया है, जो कि नियमानुसार पात्रता नहीं रखता है ऐसी स्थिति में आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराये जायेंगे एवं गलत व्यक्ति को शासकीय सेवा में उपस्थित कराये जाने के फलस्वरूप आपके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं अपात्र व्यक्ति को भुगतान की गई राशि आपसे व्यक्तिगत वसूली योग्य होगी।
3 लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4 उप लेखानियंत्रक, भविष्य निधि/अनुभाग अधिकारी/सामान्य/पेंशन/बजट एवं वित्त/गोपनीय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5 उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. श्रीमती कान्ती धुर्वे, जी–10 कृषि नगर, दरगाह के पास, खण्डवा, थाना सिटी कोतवाली, खण्डवा (म०प्र०) – 450001
7. निजसचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. आदेश नस्ती/सुरक्षा नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

(हस्ताक्षर)

कुलसचिव

कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.)

डॉ. अजय कौशल
कुलसचिव

Phone- : 0751–2970519
E-mail- registrar@rvskvv.net

क्र. / कु.स. / आर.पी.सी. / अनुकम्पा / 2025–26 / 1986 दिनांकः 11/09/2025

आदेश

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3–12 / 2013 / 1 / 3, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3–13 / 2019 / 3 / एक, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 में निहित निर्देशों एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर में दायर रिट याचिका क्र. WP No. 24081/2025 में पारित आदेश दिनांक 11 जुलाई, 2025 के परिपालन में विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत् स्व. श्री सतीश कुशवाह, भृत्य, मूल नियुक्ति कृषि महाविद्यालय, खण्डवा एवं तत्कालीन पदस्थापना कृषि विज्ञान केन्द्र, धार–II, मनावर का आकस्मिक निधन दिनांक 27.05.2024 को होने के कारण उनकी **पत्नी श्रीमती सुधा कुशवाह** की अनुकम्पा नियुक्ति **भृत्य** के रिक्त पद पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक **तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि** पर निम्नलिखित वेतनमान, शर्तो एवं नियमों के अधीन की जाकर उनकी पदस्थापना **कार्यालय अधिष्ठाता, बी. एम. कृषि महाविद्यालय, खंडवा** में की जाती है।

वेतनमान, नियुक्ति की शर्ते एवं नियम निम्नानुसार होंगी –

1. नियुक्ति म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल–1 (रु. 15500–49000) (पूर्व वेतनमान 4440–7440 + ग्रेड पे 1300) पर की जाती है, परन्तु मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक सी. 3–13 / 2019 / 3 / एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 के निर्देशानुसार उपस्थिति के प्रथम वर्ष में वेतनमान के न्यूनतम अर्थात् प्रारंभिक वेतन रूपये 15500 का 70 प्रतिशत मूलवेतन, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत मूलवेतन एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि मूलवेतन के स्टायपेंड के रूप में देय होगी तथा नियमानुसार वेतन भत्ते देय होंगें। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियत वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
2. नियुक्त अभ्यर्थी को यह अनुकम्पा नियुक्ति म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक सी 3–12 / 2013 / 1 / 3, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा जारी दिशा–निर्देश के बिन्दु क्र. 6.4 एवं बिन्दु क्र. 13.3 की प्रत्याशा में दी जा रही है।
3. सेवा में उपस्थिति प्रस्तुत करने के समय नियुक्त अभ्यर्थी को यह शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा की पूर्व से वह शासकीय सेवा में नहीं हैं और न ही दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय / अशासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा / निगम, मण्डल परिषद, आयोग आदि में कार्यरत् है तथा नियुक्त अभ्यर्थी दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण–पोषण करेगा।

   उपरोक्तानुसार उक्त बिन्दुओं का शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही नियुक्त अभ्यर्थी की उपस्थिति मान्य की जा सकेगी। शपथ–पत्र एवं उक्त बिन्दुओं की जानकारी न देने के अभाव में यह अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
4. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जाती हैं कि आवेदक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण–पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यह प्रमाणित हो जावेगा कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनादेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण–पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जावेगी।

5. कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण–पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियों सहित पदस्थी कार्यालय में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. यह नियुक्ति आवेदक द्वारा लिखित सहमति के आधार पर दी जा रही है। नियुक्त अभ्यर्थी को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर उसका किसी अन्य पद हेतु नियुक्ति का निवेदन को स्वीकार नहीं किया जावेगा और न ही अनुकम्पा नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित की जावेगी।
7. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। अनुकम्पा नियुक्ति से नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया जा कर सेवा से त्याग पत्र दिया जा सकेगा। एक माह का वेतन तथा एक माह पूर्व नोटिस दिये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उपरोक्त शर्तों के अनुसार देय रकम भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जा सकेगी तथा उनके द्वारा दिये गये नोटिस की अवधि में एक माह में जितनी अवधि शेष हो, उतनी अवधि के वेतन का भुगतान करना होगा।
8. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जा रही है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित आयु के बाद ही विवाह किया है। यदि यह पाया गया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया गया हो तो यह अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
9. नियुक्त अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी कोई स्त्री पदाभिलाषी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी एक पत्नी पूर्व से जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
10. नियुक्त अभ्यर्थी जिसे महिलाओं/पुरूषों के अपराध के विरूद्ध किसी भी अपराध का दोषी सिद्ध ठहराया गया हो, अनुकम्पा नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
11. यदि नियुक्त अभ्यर्थी की दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी, परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है या हुआ है।
12. नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण एवं सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं 1965 के अधीन विहित रहेगी। विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम के विद्यमान नियमों एवं म.प्र. शासन की सभी सेवा शर्तें एवं शासनादेश जो जारी किये जा चुके हैं तथा समय–समय पर जारी किये जावेंगे, सेवा हेतु लागू एवं मान्य होंगे।
13. नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता के अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, साथ ही मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होगी।
14. अनुकम्पा नियुक्त से नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी पर नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य नियम/मुद्दे, नियमित शासकीय सेवकों का लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाए और उन्हें लागू किया जाये, के अधीन रहेगा।
15. नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएँ परिवीक्षा अवधि के दौरान इस नियुक्ति आदेश में उल्लिखित पदस्थापना स्थान से स्थानांतरित नहीं की जाएँगी, हाँलाकि प्रशासनिक कार्य सुविधा हेतु नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली किसी भी केन्द्र/इकाई/योजना को स्थानांतरित की जा सकेगी।

16. नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी/दस्तावेज यदि असत्य या गलत पाये जाते हैं, तो इनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
17. उम्मीदवार को भारत गणतंत्र एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
18. नियुक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर पदस्थी कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर, कार्यालय प्रमुख को उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
19. प्रमाणित किया जाता है इस नियुक्ति में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

अनुकम्पा नियुक्ति से नियुक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उपरोक्त दर्शाये गये सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ लेवें तथा कार्यभार ग्रहण करते समय इस आदेश की एक प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर यह उल्लेख करने के बाद कि "अनुकम्पा नियुक्ति आदेश की सभी नियम और शर्तें मुझे स्वीकार है" अपने हस्ताक्षर करके पदस्थी कार्यालय में जमा करें। अभ्यर्थी द्वारा पद पर कार्यभार ग्रहण करना इस बात का संकेत है कि उसने सभी नियम और शर्तें स्वीकार कर ली हैं और वह उनका पूर्ण निष्ठा से पालन करेगा।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

कुलसचिव

पृष्ठा. क्र./कु.स./आर.पी.सी./अनुकम्पा/2025–26/1987 ग्वालियर, दिनांकः 11/09/2025

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण/ अनुसंधान/विस्तार सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता, बी.एम. कृषि महाविद्यालय, खंडवा की ओर भेजकर लेख है कि उक्त नियुक्ति का आदेश सशर्त जारी किया जा रहा है। अतः नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, इंदौर/ग्वालियर/सीहोर/ मंदसौर।
5. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. उप/सहायक कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. संबंधित – श्रीमती सुधा कुशवाह पत्नी स्व. श्री सतीश कुशवाह, ग्राम मेनगांव (पिपराटा) तह. व जिला–खरगोन (म.प्र.) पिन – 451001, मोबाइल – 9575248153 की ओर पालनार्थ।
8. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
9. व्यक्तिगत/आदेश/सुरक्षा नस्ती।

कुलसचिव